पंचम माला, खंड 65, अंक 8, मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976/11 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 8, Tuesday, November 2, 1976/ Kartika 11, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976/11 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 8, Tuesday, November 2, 1976/Kartika 11, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1—9
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers laid on the Table—	
(एक) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	(1) Minutes—laid	9
(दो) चौथा प्रतिवेदन—पेश किया गया	(2) Fourth Report—presented . .	9
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
233वां, 236 वां तथा 237 वां प्रतिवेदन—पेश किया गया	233rd, 236th & 237th Reports—Presented	9
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
58वां प्रतिवेदन—पेश किया गया	58th Report—presented . . .	10
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित—रूप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	10 39—41
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	10
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi . . .	10—11
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . . .	11
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . . .	11—12
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	12
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	12—13
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram . . .	13
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . .	13—14
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . .	14—15

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa .	15
श्री राम हेडाऊ	Shri Rama Hedaoo	15—16
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani . .	16—17
श्री लीलाधर कटकी	Shri L. D. Kotoki . .	17
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	17—18
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini .	18
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri .	18—19
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . .	19—20
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . . .	20
श्री टी० डी० कांबले	Shri T. D. Kamble	20—21
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan .	21
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury . .	21—22
श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या	Shri P. Venkatasubbaiah . .	22
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	23
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal .	23—24
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy .	24
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha .	24—26
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey . .	26
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi . . .	26—27
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar . . .	27
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya . .	27—28
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . . .	28
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	28—29
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	29—30
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . .	30—31
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . .	31
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	31—32
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji . .	32
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	32—33
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	33—34

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kadar . .	34
श्री आर० वी० स्वामीनाथन्	Shri R. V. Swaminathan .	34-35
श्री एस० एल० सक्सेना	Shri S. L. Saksena .	35-36
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga .	36-37
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma . .	37
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	37
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	37
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	37-38
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankarrao Savant	38
डा० कैलास	Dr. Kailas	38
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	38-39
मौलाना इसहाक संभली	Maulana Ishaque Sambhali .	39
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . . .	39
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	39

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)

अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)

अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)

अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)

अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)

अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)

अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)

अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)

उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)

उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)

एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)

कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)

कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)

कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)

काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

कावड़े, श्री वी० ग्रार० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालिगांव)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)

किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)

कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)

कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)

कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)

कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)

केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)

कोवाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)

कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

कृष्णन, श्री ई० ग्रार० (सलेम)

कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)

कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)

कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)

कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)

कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री ग्रार० के० (बारामती)

खां, ग्राई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (ग्रंगुल)

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गणेश, श्री के० ग्रार० (ग्रन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)

गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)

गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)

गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)

गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोज़पुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (ग्रलीपुर)

गुह, श्री समर (कन्टाई)

गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)

गोखले, श्री एच० ग्रार० (बम्बई उत्तर पश्चिम)

गोटखिन्डे, श्री ग्रण्णासाहिब (सांगली)

गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)

गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)

गोपाल, श्री के० (करूर)

गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)

गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)

गोयन्का, श्री ग्रार० एन० (विदिशा)

गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)

गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)

गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित ग्रासाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)

गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित ग्रांग्ल भारतीय)

गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)

गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (बैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (मालदा)
जोशी श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढ़िल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेड्डापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पेरम्बलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (कैसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (धंधुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकित, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरधाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)

भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)

भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)

मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)

मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)

'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)

मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)

मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)

महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)

महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)

महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)

महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)

महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)

माझी, श्री भोला (जमुई)

मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)

मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)

मारक, श्री के० (तुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)

मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)

मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)

मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)

मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)

मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)

मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)

मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)

मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)

मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)

मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)

मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)

मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)

मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)

मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)

मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)

मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)

मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)

मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)

मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)

मोदक, श्री विजय (हुगली)

मोदी, श्री पीलू (गोधरा)

मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)

मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)

मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)

मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिर्रयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्पेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्बतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 2 नवम्बर, 1976/11 कार्तिक, 1898 (शक)

Tuesday, 2 November, 1976/Kartika 11, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the Chair

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1972–73 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : मैं कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1972–73 के वार्षिक लेखे* तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11469/76)

तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, 1976 और तमिलनाडु नगरीय तथा ग्राम्य आयोजना अधिनियम, 1971 के बारे में अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 45 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) नियम, 1976 की एक प्रति जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ए/283(ए)/76/ (जी० ओ० एम० 1641) में प्रकाशित हुये थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11420/76)

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु नगरीय तथा ग्राम्य आयोजना अधिनियम, 1971 की धारा 123 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 652 जो दिनांक 7 मई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें—

(क) विस्तृत विकास योजना तैयारी तथा मंजूरी नियम;

(ख) वृहत् योजना (तैयारी, प्रकाशन तथा मंजूरी) नियम;

(ग) आयोजना अनुमति आवेदन नियम;

(घ) आयोजना प्राधिकारी (व्यक्ति-संघ) नियम; और

(ङ) तमिलनाडु नगरीय तथा ग्राम्य आयोजना बोर्ड अथवा आयोजना प्राधिकारियों के सदस्यों को अनर्हतायें नियम दिये हुये हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11471/76)

(दो) जी० ओ० एम० 1871 जो दिनांक, 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० ओ० एम० 932 जो दिनांक 16 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० ओ० एम० 980 जो दिनांक 16 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयोजना प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना तथा प्रस्तुत करना) नियम जो दिनांक 21 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1232 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 11472/76)

तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली में वर्ष 1974–75 के लेखे

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 420 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० 422 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० एम० 426 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी० ओ० एम० 427 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) जी० ओ० एम० 485 जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समिति नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० संख्या 11473/76)

(4) राष्ट्रीय सहकारी विकास अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या 11474/76)

तमिलनाडु न्यायालय फ़ीस वापसी (न्यायालय के आदेश द्वारा) नियम, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 में जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु न्यायालय फ़ीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1955 की धारा 78 के अन्तर्गत तमिलनाडु न्यायालय फ़ीस वापसी (न्यायालय के आदेश द्वारा) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1328 में प्रकाशित हुये थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) :
(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11475/76)

वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन अधिसूचनाएं

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :--

(एक) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1201 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1202 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 11476/76)

खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1976

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1417 में प्रकाशित हुये थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10477/76]

रेलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर उनकी भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं रेलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर उनकी भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त हुये अर्ध वर्ष में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 11478/76]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 42—दसवां सत्र, 1970 — चौथी लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 37—दूसरा सत्र, 1971
(तीन) विवरण संख्या 21—पांचवां सत्र, 1972
(चार) विवरण संख्या 20—नौवां सत्र, 1973
(पांच) विवरण संख्या 26—दसवां सत्र, 1974
(छ) विवरण संख्या 18—बारहवां सत्र, 1974
(सात) विवरण संख्या 22—तेरहवां सत्र, 1975
(आठ) विवरण संख्या 6—पन्द्रह सत्र, 1976
(नौ) विवरण संख्या 5—सोलहवां सत्र, 1976
(दस) विवरण संख्या 2—सत्रहवां सत्र, 1976
} पांचवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10479/76]

नागालैंड पर्यटन यान नियम, 1970

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1941 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नागालैण्ड पर्यटन यान नियम, 1970 (नागालैण्ड संशोधन नियम, 1976) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 14 अगस्त, 1976 के नागालैण्ड राजपत्र में अधिसूचना संख्या टी पी टी/एम बी/44/70 (पी टी) (2) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 11480/76]

गुजरात राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, गाँधीनगर का 31 जुलाई, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, गांधीनगर के 31 जुलाई, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित, लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 11481/76]

निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनाएं और नियंत्रित कपड़े के पैकिंग सम्बन्धी विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इस्पात ट्यूबों तथा ट्यूबुलरों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3417 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कास्ट आयरन मैनहोलों के ढक्कनों तथा फ्रेमों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3418 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) छोटे औजारों तथा हाथ के औजारों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3419 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिलाई की मशीनों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3420 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कास्ट आयरन सोयल पाइपों और फिटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 3421 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) बिजली के पंखों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3422 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ट्रांसमिशन लाइन टावरों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3423 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) शक्ति-चालित पम्पों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3424 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विद्युत केबलों तथा कंडक्टरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर; 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3425 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) डीजल इंजनों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3426 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बाइसिकलों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3427 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) नारियल जटा उत्पाद (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3428 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) नारियल जटा धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3429 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) नारियल जटा की चटाइयों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3430 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) बिना गांठ बंधे नारियल जटा धागे का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3431 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 11482/76]

(2) निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अप्रैल, 1975 से सितम्बर, 1975 तक की अवधि के दौरान नियंत्रित कपड़े की पैकिंग सम्बन्धी विवरण।

(दो) अप्रैल, 1975 से सितम्बर, 1975 तक की अवधि के दौरान नियन्त्रित कपड़े के वितरण सम्बन्धी विवरण।

(तीन) अप्रैल, 1975 की पैकिंग (जिसका मई, 1975 में नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।

(चार) मई, 1975 की पैकिंग (जिसका जून, 1975 में नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।

(पांच) जून, 1975 की पैकिंग (जिसका जुलाई, 1975 में नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।

(छः) जुलाई, 1975 की पैकिंग (अगस्त, 1975 में जिसका नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।

(सात) अगस्त, 1975 की पैकिंग (जिसका सितम्बर, 1975 में नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।

(आठ) सितम्बर, 1975 की पैकिंग (अक्तूबर, 1975 में जिसका नियतन किया गया) में से विभिन्न राज्यों को तथा खुदरा दुकानों को नियन्त्रित कपड़े का किस्मवार नियतन दर्शाने वाला विवरण।
[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० संख्या 11483/76]

तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान नियम, 1959 में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1006 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 11484/76]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 267/76-सी ई [सा० सां० नि०

862(ङ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1976 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 11485/76]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

(एक) कार्यवाही सारांश

श्री नाथू राम मिर्धा (नागपुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति की 18 फरवरी, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल, 10 मई, 11 मई, 9 जून, 24 जून, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 19 अगस्त, 29 सितम्बर और 18 अक्तूबर, 1976 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) चौथा प्रतिवेदन

श्री नाथू राम मिर्धा : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

233वां, 236वां और 237वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) राजस्व और बैंककारी विभाग के सम्बन्ध में 'दानकर' पर समिति के 193वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 233वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में 'नकद सहायता' पर समिति के 174वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 236वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में 'टैक्सटाइल मशीनों का आयात' पर समिति के 194वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 237वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

58वां प्रतिवेदन

श्री निहार लास्कर: मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय--दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बंधी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक--जारी

Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill—contd.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में पास किया जाये।"

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि समय को देखते हुए वे अपने भाषण को संक्षिप्त रखें सभी सदस्यों को समय मिलना चाहिये।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): Sir, the Constitution was framed 27-28 years ago. The time is changing fast and so a document can become out of date in this period. We have to develop the country at a rapid speed to catch up with the developed nations. That is why we have to amend our Constitution according to the Changed socio-economic situations.

But I am sorry that the Government have not brought forward a Comprehensive Bill taking into Consideration all the aspects. It would have been better to refer this Bill to a Select Committee. Lok Sabha's duration has been extended. So there was no urgency to pass this Bill.

Some more amendments should have been added in the Constitution. So during the present term another more comprehensive Bill should be brought. That bill should be referred to a Select Committee. I think the Present bill is being passed in haste. This nation is marching ahead and there is need to amend the Constitution further.

Shrimati Subhadra Joshi. (Chandni Chowk): Sir, I welcome the Bill and congratulate, the law Minister for bringing it forward. I want to say that the present Lok Sabha is much more representative and much more powerful as compared with the previous Constituent Assembly. It, therefore, is empowered to amend any law as well as the Constitution.

I think the duration of Lok Sabha should not be extended any more. Democracy is very necessary for the Country. But the delay in holding elections

will concentrate power in the hands of bureaucrats. They are taking undue advantage of their rights.

I welcome the inclusion of the words 'Secularism' and 'socialism' in the Constitution. That poverty is God-given cannot be accepted in modern times and poverty can be vanished only by socialism. Socialism is the demand of the times. Now no one can deprive the poor people of their right to live and to earn. We have to change with the changing times.

I Congratulate the Law Minister for drawing the citizen's attention towards their duties. These have been incorporated in the constitution, it is a happy development.

I also welcome the ban imposed on communal of fascist organisations like R.S.S. and Anand Marg. During the emergency minorities should be given more opportunities in services, business of trade. I fully support the steps taken by the Government to develop the backward areas and to promote the regional languages.

For some time some clever persons in the garb of religion are trying to exploit the check their activities by enacting some law we must develop a scientific attitude.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व के कारण इस संसद को यह विधयक पारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ठीक है कि गरीबी हटाने के लिए यह अन्तिम अस्त्र नहीं है लेकिन इस से हमें रास्ता मिला है। एक नई दिशा प्राप्त हुई है। हम प्रस्तावना में 'समाजवाद' और धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ रहे हैं। इस से देश की एकता और अखण्डता को बल मिलेगा। हम श्रमिकों को प्रबंध व्यवस्था में भागीदार बना रहे हैं और हमने मूल कर्त्तव्यों को संविधान में स्थान दिया है।

मैंने कर्मकारों, मजदूरों, दर्जियों आदि से इस विधेयक के बारे में काफी बातचीत की है। वे सब चाहते हैं कि उन्हें कार्य करने और जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित की जाय। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दें ताकि मैं उन लोगों को इसके बारे में बता सकूं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): Sir, I supported this Constitution Amendment Bill. It has gratified the hearts of 80 per cent of our people. But it is a matter of regret that we have not been able to provide our constitution in Hindi. It should have been prepared first in Hindi and them its translation could be provided in the other languages.

For the last 27 years we have not been able to put into practice the main aim of our Constitution. I.A.S. officers feel that they are born to rule not to serve the masses. The Law Minister should help in preparing a crop of officers Committed to Socialism. They will implement our policies earnestly.

We have adopted 20-point programme but it is not being implemented properly. The Minister should take proper care of it.

We should try to encourage inter-provincialism. We are all Indians and should enjoy equal rights everywhere in the country. This spirit needs to be inculcated in the citizens of the country.

We should more towards Socialism more speedily. There is great inequality in the wage standards and per capita in come in different parts of the Country. The Central Government should try to remove it.

Shri Dhamankar (Bhiwandi): I support the Bill and congratulate the Law Minister for bringing such a welcome legislation. It is a matter of great pride for us that we are going to pass this revolutionary measures. It will help the poor and backward people in getting Justice.

Our lawyer friends, on the appeal of hon. Prime Minister last year have set up a National Legal Aids Committee which has its Branches in all states and districts. In my area Bhiwandi also one such branch is functioning and helping the tribal people there the hon. Law Minister should see that Government gives some financial assistance to these Branches of the National Legal Aid Committee so that they may continue their work of helping the poor and backward section of the Society.

The provisions made in this Bill in regard to the fundamental duties have created some apprehensions in the minds of the Trade Union workers to the effect that their activities will be curbed and have adverse effect on trade-unionism.

I, therefore, urge upon the hon. Law Minister and hon. Home Minister to look into these misapprehension and remove them.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): I support this Bill. It is a Bill of historic importance. This Parliament which has been elected on the basis of adult franchise has full authority to amend the Constitution. The talk of basic structure of the constitution is meaningless. The basic thing is that the people are Supreme and their elected representatives sitting in this Parliament can amnd any and all the articles of the Constitution.

So far as the inclusion of the words "Socialism" and "Secularism" is concerned, after including them what is more necessary is to see as to what is happening in the country. Is it not a fact that various communal forces are still active all around? Do they not constitute a grave danger to the integrity of the country? There should be a provision either in the Directive Principles or elsewhere to defranchise these who encourage communalism. Such a provision is very necessary because such people are a danger to th unity and sovereignty of our country.

If we want to achieve socialism and secularism it is also necessary that we have a committed executive. Unfortunately, we see executive authorities are not making that much contribution expected of them in bringing about a social transformation in the country. Therefore, we should see how we can reform them so that they could become more useful instruments. Whatever amendments we may bring about in the Constitution they will not be of much use so long as the attitude of the executive authorities remained unchanged.

As regards freedom of speech and of the Press, about which much has been said, we should remember that the Supreme Court of the United State had once said that it was a fundamental principle long established that freedom of speech and of the Press which was secured by the Constitution do not confer an absolute right to speak or publish without responsibility whatever one may choose or an unrestricted and unbridled licence that give immunity for every possible use of language and prevant the punishment of those who abuse this freedom.

So far as the question of Hindi is concerned it is the language spoken by the majority of the people in this country. It is people's language. As such it should get the highest place in our Constitution.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इसका समर्थन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा सभा की सर्वोच्चता निश्चित की गई है और इस देश में संसदीय लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है । हमारे संसदीय लोकतंत्र को कुछ तत्वों द्वारा गम्भीर खतरा पैदा हो गया था । यद्यपि यह खतरा अभी तक पूरी तरह दूर नहीं हुआ है फि र भी इस पर नियंत्रण कर लिया गया है और संसद् की सर्वोच्चता बनी हुई है तथा देश में संसदीय लोकतंत्र जारी है ।

संसद् में जनता की भावनाओं को प्रतिपादित किया गया है, इसलिए यह सर्वोच्च है । न्यायपालिका की संसद् के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । वह इससे संघर्ष नहीं कर सकती । सामाजकि आर्थिक सुधार करन की व्यवस्था करना संसद् का ही उत्तरदायित्व है किसी बाहरी अभिकरण का नहीं । हमने अब प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्षता' ही शब्द जोड़े हैं । कल से हमारा देश समाजवाद के आदर्श मार्ग पर अग्रसर होगा । लेकिन एक बात से हम आश्वस्त हैं कि हमारा कर्मचारी वर्ग, कृषक वर्ग तथा प्रबुद्ध वर्ग जो कि देश की प्रगति के पथ पर आगे बढायेंगे समाजवाद के उद्देश्य से सहमत होंगे । अन्तः दलित वर्ग ही समाजवाद का निर्माण करेगा । इस दलित वर्ग का उद्धार किया जाय और जो शक्तियां समाजवाद की धारणा के विरुद्ध हैं उन सभी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमें एक जुट होना चाहिए ।

हम सम्पत्ति के सभी अधिकारों के विरुद्ध नहीं हैं । यह भ्रामक विचार धारा है । समाजवाद के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन-यापन के लिए आवश्यक निजी सम्पत्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए । हम केवल सरकारी सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का कड़ा विरोध करते हैं । यदि हम उत्पादन के साधनों पर सें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व की समाप्त करने में असफल रहें तो 'समाजवाद' शब्द केवल भ्रम बनकररह जायेगा । यह मूलभूत प्रश्न है । अतः देश में उत्पादन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ।

अन्य महत्वपूर्ण बात देश की एकता है । देश की शासन प्रणाली को अस्त-व्यवस्त करने वाली तथा पृथक वाद की भावना फैलाने वाली शक्तियां अभी भी सक्रिय है । वह विधेयक का कड़ा विरोध कर रही हैं । हमें उनका सामना करना है तथा उनके प्रचार का उत्तर देना है ।

भाषा के प्रश्न पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए । स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नहरू द्वारा दिए गए आश्वासन तथा निर्धारित फार्मूले को हमें याद रखना है । यदि हम राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसका पालन करना होगा । अतः हिन्दी और अंग्रजी को जब तक कि गैर-हिन्दी भाषी नहीं मानत सरकारी काम-काज की भाषा रखा जाए ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हमारे देश में वर्तमान दशक में महत्वपूर्ण घटनायें घटी हैं । संविधान में वर्तमान संशोधन उनमें से एक है जिसके द्वारा जन साधारण

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

को सदियों से अभाव और गरीबी से मुक्त करके उन्हें खुशहाल बनाना है और यह एक नए समाज का निर्माण किया जाना है ।

आज इन संशोधनों को स्वीकार करके हम राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य शोषण तथा विभिन्न सामाजकि असमानताओं से उन्मुक्त एक न्यायवादी समाज की स्थापना करना है । निर्धनता रेखा से नीच जीवन-यापन करने वाले लाखों लोगों में हमारी राजनीतिक प्रणाली और सरकार में अधिक विश्वास पैदा होगा क्योंकि अब उन्हें यह पता चलेगा कि उनका संविधान उनसे दूर नहीं हैं । वे महसूस करेंग कि इस संविधान में उनके प्रतिनिधि उन वचनों को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जो हमारे दल ने 1971 में उनसे किये थे । मेरे विचार से इस सन्दर्भ में आज हम वह वचन पूरे कर रहे हैं जो हमारे प्रधान मंत्री, हमारे दल और हमारे नेताओं ने 1971 में जनता को दिए थे और जिनका कतिपय कारण वश पालन नहीं ही पाया था । आज संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है ।

एक सतत उन्नतिशील राष्ट्र कभी भी निश्चिन्त नहीं बैठता और इसी प्रकार उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक संविधान भी कभी बंधा नहीं हो सकता उसमें निरन्तर समयानुसार परिवतन होता रहता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सामन्तवादी समाज था परन्तु अपने संविधान के द्वारा हमने उसे समाप्त किया तथा अब हम एकाधिकार और पुंजीवाद को समाप्त कर रहे हैं ।

इस समय यह बात पूछना ठीक होगा कि क्या जो संविधान हमने बनाया है और जिसके द्वारा हमने सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था या सामन्तवादी समाज का दबाव समाप्त किया है, हमारे समाज के लिए पर्याप्त होगा जबकि हम लोकतंत्री प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं और जब हमने यह घोषणा की है कि हम एक समाजवादी गणतंत्र बनायेंगे । हमने घोषणा की है कि हम 26 वर्षों में सामाजिक परिवर्तन के अन्य चरणों को पूरा करने के बाद 1976 में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करेंगे । यह एक महान और एतिहासिक उपलब्धि है और हमने राष्ट्र-निर्माण को प्रक्रिया के एक नये चरण में प्रवेश किया है और यह चरण समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है । इस कार्य को पूरा करन के लिए हमें और 24 वर्ष लग सकत हैं ; हमें इस 2000 ईसवी पूर्व तक इसे पूरा करन का प्रयास करना चाहिए ।

कुछ विपक्षी लोगों का कहना है कि किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा दिए गए 5 सूत्री कार्यक्रम को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । मेरा उनसे कहना है कि कांग्रेस के कार्यक्रम, सदैव गैर-सरकारी लोगों की देन रहे हैं । फिर प्रधान मंत्री ने स्वयं 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा की है ।

Shri Sukhdeo Praad Verma (Navada): The Prime Minister and the Law Minister deserve to be congratulated for taking this timely measure. Although many more amendments are needed in the Constitution even the amendments incorporated in this Bill are praise-worthp and welcome.

It is something very good that the words "socialist" and "secular" have been added in the Preamble. But how far we will succeed in removing the existing economic and social disparities is a big question which require serious consideration.

The object of this Bill is not to provide certain amenities to some people but to build a strong nation. India cannot become a strong nation so long as the condition of the people do not improve. At present there is a wide gap between the have and have nots. So long as this gap is not filled the nation will remain weak.

As regards the Scheduled Castes and Tribes, steps are being taken for a long time for their upliftment. But apart from these people there are other backward people whose number is very large and who are economically very weak. What are we doing for them? The article of the Constitution dealing with those people has not been touched. Government should pay attention to this matter.

This inclusion of education in the concurrent List is welcomed. But it is not understood why agriculture has been left out. The has caused much disappointment among the people. The matter requires serious consideration.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे): इस 44वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि 27 वर्षों के दौरान इतने अधिक संशोधन क्यों लाय गये हैं? इस संविधान को बनान वाली संविधान सभा का स्वरूप विचित्र था। इस समय कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे क्योंकि उनमें अधिकांश स्थानों पर राजे, नवाब, आदि नामनिर्दिष्ट थे। अंत: पंडित नेहरु जैसे व्यक्ति को उस संविधान में एकता लान के लिए मूल और मौलिक बातों पर समझौता करना पड़ा। ये बातें जाति प्रथा, नौकरशाही और निजी सम्पत्ति थी। हम अभी तक जाति प्रथा को समाप्त नहीं कर पाय हैं। नौकरशाहों को इस देश में उतनी ही आजादी है जितनी कि उन्हें किसी अन्य देश में है। इस देश में ब्रिटिश नौकरशाही वाली बातें अभी भी दिल्ली और राज्यों के सचिवालयों में मिलती हैं। संविधान में अब 103 संशोधन हो जायेंगे, परन्तु यहां ही अन्त नहीं होगा, और संशोधन भी करने पड़ेंगें। इसीलिए कुछ मित्रों ने संविधान सभा का सुझाव दिया है। देश का नेतृत्व अब युवा वर्ग के हाथों में जाने वाला है। जनता में जागृति आ गई है तथा हमारा संविधान उन की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।

इसी तरह, निजी सम्पत्ति पर भी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों ने, जिनके पास आजादी के समय 20 या 30 करोड़ रुपए की सम्पत्ति थी, अब 800 या 900 करोड़ रुपए की सम्पत्ति बना ली है। देश का धन और उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों, जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिशत लोगों के हाथों में हैं और शष 90 प्रतिशत अभी भी गरीब हैं। अमीर अपने सम्पत्ति के अधिकार को नहीं, छोड़ना चाहते। अत: मूल-अधिकारों की यह लड़ाई अमीरों के पास से गरीबों के पास सम्पत्ति पहुंचान की प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने के अलावा और कुछ नहीं है।

1969–70 में नक्सलवादी सभी अमीरों का सफाया कर देते। परन्तु श्रीमती गांधी ने इसे रोका और कहा कि मैं इसे शांतिपूर्ण और संविधानिक तरीके से करूंगी। लोग अब जागृत हो रहे हैं और अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे। संविधान में लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति की जानी है और 4 या 5 वर्षों के भीतर हमारा एक नया संविधान होगा।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): This Constitution Amendment Bill has been rushed through in great haste and as a result, there were still various lacunas

[Shri Ram Hedaoo]

in it and it is not adequate to fulfil the needs of the people. This amending Bill will not help much in removing the economic disparities and the exploitation of weaker sections of society. We expected that a new Constituent Assembly will be constituted to go deep into the implications of these amendments. But it is not done. Therefore, this Parliament will soon feel the need for bringing about a more comprehensive Bill in the near future.

It is necessary to add in the preamble a 'Society free from exploitation' because we wanted to create a society which is free from exploitation. Then, our Constitution should also have included the right to work as a fundamental right.

This Constitution has been so amended that no person, either individually or collectively, will be able to put forth his problems or miseries, because it may be construed as an anti-national activity.

In order to bring about balanced development in the country, it is desirable that smaller States are formed. It will also strengthen the hands of the Central Government because it will help them to exercise better control on smaller States. Even from the view-point of clear administration, smaller States will serve better the interests of poor people. Therefore, efforts should be made to bring about a fresh reorganisation of States. Then the leadership of the society must be passed on to the weaker sections of the society. The influence of capitalists should be abolished. For that purpose, the ownership of the means of production should be vested in the hands of those people who toiled in farms and factories. More attention should be paid to rural cottage industries and the handloom industry should be nationalised in order to bring about economic freedom to masses.

It is good that education has been made a Central subject. There should be one curriculum throughout the country. Education upto Matric should be made compulsory and private educational institutions should be banned as they misuse the Government grant.

Shri Chandra Shailani (Hathras): This 44th Constitution Amendment Bill is welcome. Our Constitution has been amended several times in the past with the result that the country has not been provided with a Constitution which is to suit the present time, condition and the social structure obtaining on our country. The hon. Law Minister should take this point into consideration and should take measures to bring about a radical change in our Constitution.

Some Central law should be imposed on those who do not work and waste their energy in frivolous things. The intention is that a fundamental right to work should be included in our Constitution similarly the eradiction of untouchability should also be included in the directive principles. It is also essential to abolish casteism and as a step in this direction all suffixes that are added to personal names indicating religion, caste or sect should be banned.

Then, inter-State and inter-caste marriages should be encouraged and a provision should be included in the Constitution to say that those who enter into such kinds of matrimonial alliances will be granted every kind of assistance and facility in service or business. The approach of our bureaucracy has also to be radically changed.

Education should be nationalised and the disparity in educational system prevalent in the country should be removed. Only rich people can afford to give to their children education in Convent schools with the result only their children qualify I.A.S. examinations.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. **Deputy Speaker** in the Chair]]

Many of my friends while critcising the approach of bureaucracy have said that there must be a provision in this regard in the constitution. We have to change their mentality.

The proportional Quota for hostel accommodation in educational institutions should be statutorily fixed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students, because it will bring about better emotional integration our Constitution will be so radically amended as not to leave any scope for exploitations of weaker sections of our society.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करता हूं । आज का दिन एक एतिहासिक दिन है । संसद को इसे कथित संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता के हितों को निहित स्वार्थों के ऊपर स्थान दिया गया है और विभिन्न राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया गया है जोकि विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधक हो रहे थे समाज के दलित और कमजोर वर्गों का उत्थान किया जा रहा है । अनुच्छेद 368 का संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है । संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है और उसमें 'समाजवादी' और ''धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 1971–72 के चुनाव घोषणा पत्र में हमने उन विभिन्न कदमों का उल्लेख किया था जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है ? हमने कहा था कि गरीबी असमानता और अन्याय समाप्त होना चाहिए इस संविधान (संशोधन, विधेयक से हमारे रास्ते की सभी रुकावटें हट जाएंगी । सरकार को वे सभी कदम उठाने चाहिए जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है । संवैधानिक उपबंधों से पता चलता है कि विधायिका और कार्यपालिका को भविष्य में किस प्रकार से काम करना चाहिए ।

जहां तक समाजवादी गणतंत्र का सम्बन्ध है, समाजवाद तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक हम सारे लोगों को साथ लेकर नहीं चलते । इसलिए यह आवश्यक है कि अगली योजना में आयोजना की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना चाहिए । जहां तक छठी योजना का संबंध है, विशेषकर, ग्रामीण विकास के मामले मे लोगों को सहयोजित करने के लिए अभी से कदम उठाए जाते हैं। यदि हम कम से कम समय में गरीबी दूर करने में विलम्ब करते हैं तो इन उपबन्धों से जिन खतरों को हम दूर करना चाहते हैं वे दूर नहीं होंगे ।

Shri Ramshckhar Prasad Singh (Chapra): Mr. Deputy Speaker Sir, this Constitution (44th Amendment) Bill is welcome and it deserves all support. It is necessary to amend the existing Constitution because it is framed by members of Constitutent Assembly who were elected by such Legislative Assemblies as were themselves elected on the basis of limited franchise. So this Constitution has been given to us by those people who had vested interests. The result is that as soon as progressive measures are taken up for implementation all sorts of hurdles and difficulties are created. It is a matter of great satisfaction that by bringing forth this amendment Bill, the supremacy of Parliament has once more been established Constitution is instrument to fulfil aspirations and wishes of the people and it is quite benefiting that the representative body of the people,

[Shri Ramsekhar Prasad Singh]

namely this Parliament, has been declared supreme and sovereign and has been given the right to amend any part of the Constitution.

It is welcome that the words 'socialist' and 'secular' have now been included in the Preamble of the Constitution but it is nothing new because the Congress Party has long back accepted the creed of socialism and secularism and has adopted the revaluation for the establishment of a socialist pattern of society at Avadi. Socialism is not only an economic programme but it is a way of life. It can be brought about only when we can transform our lives and remove all social and economic disparities. A definite programme should be drawn up to proceed in this direction and all hurdles and difficulties in that way should be removed.

It is gratifying to note that a chapter on fundamental duties has been added in the Constitution.

A natural Educational policy should be evolved for the whole country. The step taken to include the subject of education in the Concurrent List is also welcome. It must also be seen that the difficulties created by bureaucrats in the implementations of this policy are removed.

With these words I support this Constitution (44th) Amendment Bill.

Shri Mulki Raj Sani (Dehradun): The Constitution is a very sacred and important document and it cannot be amended for filmsy reasons we have accepted and included the principle of socialism is our Constitutions but we cannot bring about socialism in our country till the right to property is retained in our Constitution. The inclusion of the word 'socialist' in the Preamble to Constitution is very significant because it creates a sense of faith in the people that this Government is really committed to socialism: For that we have to change our approach, routine and educational system.

It is a matter of satisfaction that education has now been included in the concurrent list and it is hoped that a uniform national policy on education will be drawn up.

It is said that this Parliament has no powers to amend the Constitution. But Art. 368 clearly lays down that Parliament is a sovereign body.

Our country has been ailing from several maladies of Casteism, economic disparity, nepotism, corruption, tax evasion, adulteration smuggling and so on. The executive administrative machinery in the country enjoys special privileges and it works in its own way against the declared policies of the Government.

Therefore the existing situation requires that Art. 311 needs to be so amended that Executive is committed to implement the policies of Government in the prescribed manner. Our Constitution must include measures to eradicate the existing evils.

With these words I support and welcome these amendments.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर): उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संविधान 44वे संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया है। हम पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ समय बाद इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

संविधान की प्रस्तावना में हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दो शब्दों को सम्मिलित किया है। इन शब्दों का बहुत महत्व है। केवल इन शब्दों के समावेश से किसी उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। हमें समाजवाद की प्राप्ति हेतु ठोस कदम उठाने होगें।

भारतीय पर्यटन विकास विभाग द्वारा देशभर में फाइव स्टार होटल बनाए जा रहे हैं लेकिन उन होटलों में वही लोग रह सकते हैं जिनके पास अथाह धन सम्पति हो और कुछ लोगों को वहां रहने के लिए मन ललचाहता है और वह ऐसा प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट उपायों को अपनाने में नहीं चुकते ऐसी स्थिति मे समाजवाद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक हम लोगों के मन से पुराने विचारों और अंधविश्वासो को दूर नहीं करते तब तक धर्म निरपेक्षता की उपलब्धि नहीं हो सकती।

जहां तक शिक्षा का संबंध है वह प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा की समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पुस्तक में किसी भी विश्वास धार्मिक वर्ग अथवा समुदाय के प्रति घृणा अथवा द्वेष भाव को स्थान न मिले।

देश मे एकता हो यह अच्छी और वांछनीय बात है। लेकिन जब तक एक उचित सीमा तक समानता नहीं आती तब तक एकता नहीं स्थापित की जा सकती। इसलिए विभिन्न लोगों तथा क्षेत्रों के बीच समानता लानी होगी। विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक असंतुलनों को दूर करना होगा तभी हम देश में वास्तविक एकता लाने की आशा कर सकते हैं।

विधि मंत्री ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। और अब विभिन्न मंत्रालयों को मिल कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है केवल संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने से कुछ नहीं होगा।

जिन कारणों से मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, उनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। इस विधेयक से यह सदा के लिए स्पष्ट हो गया है कि संसद् सर्वोच्च है।

इस विधेयक द्वारा संविधान की व्याख्या का संदेह भी मिट गया है। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह संशोधन विधेयक जन आकांक्षाओं को पूरा करता है। इन्हीं कारणों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

देश मे भावात्मक एकता के स्थान पर संस्कृतिक एकता की ओर महत्व दिया जाना चाहिये।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंढ़ीगड़) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, भारत के संवैधानिक राजनैतिक और समाजवादी विकास के इतिहास में यह संविधान (संशोधन) विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

विधेयक में हमने अपने उद्देश्ययों को स्पष्ट कर दिया है। अनुशासन लाया जाना आवश्यक है। परन्तु जब तक लोग इसे स्वयं नहीं लाते और इसके समक्ष कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक जनता इसे अपनायेगी नहीं और इसे दबाव ही समझती रहेगी। इस संशोधन विधेयक ने समाजवाद एवं धर्म-निरपेक्षता के बारे में हमारे उद्देश्यों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इन दो परिभाषाओं को अब प्रस्तावना मे सम्मिलित कर दिया गया है।

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

लोकतंत्र की विचारधारा के समान समाजवाद की धारणा में भी बहुत विकृति आई है। समाजवाद का अभिप्राय है कि समाज का देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह नियन्त्रण हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं सरकारी क्षेत्र का प्राथमिकता देकर शासक दल ने पहले ही इस बारे मे कार्यवाही की है और हम उसी दिशा में अग्रसर होते रहेगें।

हमने एक और शब्द धर्मनिरपेक्षता, जोड़ा है। आशय है कि सामुदायिकता प्रान्तीयता भाषा और जातपात के आधार पर किसी राजनीतिक दल की स्थापना नहीं होने दी जायेगी। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को इस प्रकार से कार्य रूप दिया जाना चाहिये जिससे देश विघटनकारी शक्तियों एवं नारों से बचा रहे। इस विधेयक द्वारा हम संसद् के उचित स्थान देगें तथा संसद् की सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे।

अनेक सदस्यों ने संघीय व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। हमने कुछ उपबंधों द्वारा संघीय व्यवस्था के विचार को स्वीकार किया है, परन्तु साथ ही देश की एकता का भी ध्यान रखा है। हमने राज्यों को समुचित स्वतंत्रता दी है, साथ ही यह भी घोषणा की है कि देश के एक रहना है और देश के विभिन्न भागों मे विध्वंसकारी प्रवृतियों को दबा दिया जायेगा।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishehr): The Constitution (Amendment) Bill has created new hopes and aspirations in the minds of our people. Amendment of Constitution is not a new thing in this country. In fact, within a month of framing the Constitution, the process of amendment had started. It should be remembered that the Constitution was for the people and not people for the Constitution. Constitution has got to be changed to suit the changing times and to meet the requiremens of the people. This is a well accepted practice in all democratic countries of the world. This is also in tune with the age-old tradition of India: Our religious code has undergone continuous changes to suit the changing time. Therefore, the Constitution Amendment Bill is perfectly in tune with the time. I am happy that the words 'socialis' and 'secular' have been added in the Preamble. These words make our goals more clear.

So far as Directive Principles are concerned, they have been given due weight and prominence over fundamental rights. Fundamental Rights deal with individuals and Directive Principles deals with the State which works for the collective good of all persons. Therefore, giving precedence to Directive Principles is a step in the right direction.

Present system of admnistering justice is costly and time consuming. The whole system of judiciary needs to be changed.

Also, discriminations is practised today between a high officer and a subordinate employees working under him. Such discriminaton prevailing among different sections of the employees should be removed.

Shri T. D. Kamble (Latur): The words 'socialist' and 'secular' have been included in our Constitution which will remove all doubts from the minds of our people and will make our goal clear

The amending Bill has also introduced a new concept of duties. I welcome it. It has been provided in the Preamble that it is the duty of every citizen to promote harmony and brotherhood amongst all people of India irrespective of caste and community etc. But it has not been made clear how this duty will be fulfilled, because even now there are many institutions which propagated casteism. We also find literature which encourages casteism and discrimi-

nation between communities. It is necessary to put a ban on such literature and such institutions.

Education has been placed in the Concurrent List. There are many educational institutions which practised casteism and employed persons belonging to a particular caste or community only. Such institutions should be dealt with properly. All books and other publications which propagated this system of caste and spread untouchability etc. should be banned.

The Constitution should be written in the language of our people. It does not seem proper that our Constitution should be framed in a language which is not our own.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): We want to bring in socialism in this country through this amending Bill. But so long as land reform laws and land ceiling laws are not implemented vigorously and expeditiously, socialism will not come about. Government should ensure that all loopholes in the above laws should be plugged. Education should be made uniform and cheap for all sections of the society. The aristocracy of public schools should be done away with.

The monopoly and control of big businessmen on industries should be removed. Effective steps should be taken to ensure participation of workers in industries.

Legal aid has been provided in the Bill. But the scheme has not been spelt out. The present system of providing legal aid to the poor has proved ineffective. It is necessary to spell out the details of the scheme.

It is provided in the Bill that whenever there is an infringement of fundamental rights, an individual can approach a High Court or the Supreme Court. But will it be possible for a poor man to file a suit in these courts? Effective steps should be taken to abolish the caste-system which is the cause of many evils in our society. For this, inter-state and inter-caste marriages should be encouraged.

Also, it is necessary to put a check on bureaucracy. This is a great hurdle in the implementation of our socialist programme. A Parliamentary Committee should be appointed to ensure that Govt. officers do not prove a hurdle in the implementation of our economic programme.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूचबिहार): कुछ व्यक्तियों ने संदेह व्यक्त किया है कि इस सभा को 1971 के निर्वाचन के आधार पर जनादेश प्राप्त है। परन्तु संविधान को बनाए रखने के लिए संशोधन के अन्तर्गत कार्य करने, अर्थात सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धि के लिए जनादेश की क्या आवश्यकता है।

पूछा गया है कि इस संशोधन द्वारा हम क्या करना चाहते है। यह स्पष्ट किया गया है कि निदेशक सिद्धान्तो को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती। निदेशक सिद्धान्तों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे हैं: समाज का उद्धार एवं जनता का कल्याण। पहली बार यह प्रयत्न किया गया है कि समाज आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़े तथा समाज में समानता आये।

जहां तक न्यायपालिका की शक्तियां के कम किये जाने का सम्बन्ध है उसमें कोई कमी नहीं हुई है । अपितु न्यायपालिका की जो शक्तियां भली प्रकार प्रभावित नहीं थीं अब उनका उल्लेख कर दिया गया है। न्यायपालिका ने संविधान की अपने ढंग से व्याख्या की थी। यह न्यायपालिका की निरंकुशता थी । इस पर रोक लगनी चाहिए ।

भौगोलिक अधिकारो के नाम पर दुहाई दी गई है । किसके लिए मौलिक अधिकार हैं ? समाज के तथा कथित उच्च वर्गों के लिए ? क्योंकि समाज का निर्धन वर्ग जिसके अन्तर्गत देश की बहुसंख्या आती है, यह नहीं समझता कि संविधान में कोई मौलिक अधिकार है । उनकी मौलिक आवश्यकता उनकी भूख की तृप्ति एवं सुधार ही है । अब हमने निर्धन वर्गों की समस्याओ को महत्व दिया है । इस स्थिति में कई व्यक्तियों को धक्का लगा है ।

मंत्री महोदय ने सूचित किया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के स्थान घटा दिए गए हैं । उन्हें यह भय था कि यह संशोधन विधेयक अभी-अभी पारित किए गए अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो के संशोधन के विरूद्ध होगा । उस आदेश को उस सीमा तक कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जिस सीमा तक वह इस संशोधन के विरूद्ध है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया (नन्द्याली) : सामाजिक-आर्थिक क्रांति के मार्ग में बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि संसद् जनता की वास्तविक भावनाओ की अभिव्यक्ति को तथा संविधान जनता की आकांक्षाएं दर्शाए। संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है । इसलिए जनता की बदलती हुई आवश्यकताओ के अनुरूप निरन्तर परिवर्तन होता रहना चाहिए इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस संशोधन विधेयक ने सिद्ध कर दिया है कि संसद् कानून बनाने तथा संविधान में संशोधन करने में सर्वोच्च है।

इस विधेयक द्वारा संसद् की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई है तथा संविधान का संघीय ढांचा बनाए रखा गया है । केन्द्र तथा राज्यो के बीच निरन्तर घनिष्ठता बनी रहनी चाहिए केवल तभी हम देश में उपलब्ध संसाधनो को उपयोग में लगा सकेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि सिंचाई, बिजली और नदियों के जल को समवर्ती सूची में रखा जाए । इससे बाढ़ तथा सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में समृद्धि लाने में पर्याप्त सफलता मिलेगी । इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए राजनीतिक दलों में दल बदल रोकी जानी चाहिए । इस बारे में एक विधेयक संयुक्त समिति के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि विधेयक को शीघ्र ही पारित किया जाये ।

हमारे देश में नौकरशाही को संवधानिक संरक्षण प्राप्त है । जितनी जल्दी उसे हटाया जाये, उतना ही जनसाधारण के लिए उचित होगा ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : अच्छी बात है कि हमने प्रस्तावना में स्पष्ट कर दिया है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है। परन्तु संविधान में कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो संविधान की भावना की क्रियान्विति में बाधक है।

उदाहरणार्थ यदि संविधान के लोकतंत्रीय और संघीय ढांचे को कार्यान्वित करना है तो नौकरशाही की शक्तियो को सीमित किया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक अधिकारियों का गठन ही पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 311 तथा 312 में समुचित संशोधन किया जाता चाहिए।

हमारे निदेशक सिद्धांत अब तक पवित्र वचन थे जिन्हें हम लागू नहीं कर सके। हम निर्धनता दूर करना चाहते हैं किन्तु हम देश की जनता को समुचित रोजगार प्रदान नहीं कर पाये हैं। जब तक कार्य का अधिकार अनुसूची सात में निर्गमित नहीं किया जाता तब तक देश के लोगो को रोजगार प्रदान करना अत्यधिक कठिन है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पहलू पर पुन: विचार करेंगे।

यह आवश्यक है कि लोगो को रोजगार देने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाये जायें। श्री वैंकटासुबैय्या ने देश में व्याप्त आर्थिक विषमता का उल्लेख किया है। आज देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। सरकारी क्षत्र के विभिन्न उपक्रमो ने केवल नौरकरशाही के रिश्तेदारो को ही रोजगार दिया है। मुख्य कठिनाई यह है कि देश के विकास में देश के लाख लोगों को भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया है।

इसलिए यह आवश्यक है कि काम के अधिकार की गारन्टी दी जाये तथा केन्द्र राज्यों को निर्देश दे कि वे जनता को लाभप्रद रोजगार प्रदान करें। सभी व्यक्तियो को, चाहे वे शिक्षित हो अथवा अशिक्षित काम का अधिकार दिया जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश म अर्थपूर्ण समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। यदि संविधान में और संशोधन आवश्यक समझे गए तो हम उनका भी समर्थन करेंगे।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat): It is good that the words "secular" and "socialist" have been included in the preamble of the Constitution. It will help in the implementation of the socialst policies.

There are a number of restrictions on the inter-state movements of goods. There restrictions breed corruption and are against the interests of both the producers and consumers. Removal of these restrictions should be considered.

There are a number of inter-state water and border disputes. The border dispute between Haryana and U.P. has not yet been properly resolved. These disputes should be settled soon.

Article 370 has lost its importance. It is not proper to give a distinctive status to a particular state for a long time.

Efforts are being made for getting international recognition for Hindi. If some people say in our country that Hindi is being imposed on them it will be improper. Even in the South the common people are not against Hindi. Only a few politicians are opposed to it.

Farmers should get remunerative price for their produce. There should be some provision for this in the Constitution.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : इस ऐतिहासिक संशोधन विधेयक द्वारा केवल संविधान का संशोधन ही नहीं किया गया है वरन संविधान में उस मूल भावना को प्रतिस्थापित किया गया है, जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी ।

दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका के रवैये के कारण हमें संविधान में बार-बार संशोधन करने पड़े हैं। संविधान या देश के कानूनो की व्याख्या करते समय न्यायपालिका को अधिकाधिक सावधान रहना चाहिए कि उसकी व्याख्या से कार्यपालिका अथवा विधान मंडल के अधिकारों पर आंच न आये । यदि पहले ही यह ध्यान रखा जाता तो आज यह स्थिति नहीं आती । न्यायपालिका को कानून की व्याख्या उसी रूप में करनी चाहिए जिस रूप में वह होता है। ऐसा न करने से ही देश में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है।

अनुच्छेद 368 में इसलिए संशोधन किया गया है ताकि संविधान को न्यायपालिका के प्रहार से बचाया जा सके। आशा है देश में न्यायपालिका इस बारे में बुद्धिमता का परिचय देगी ।

यह सब बातें कहने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक पास करने के बाद हम पर कुछ विशेष या दायित्व आ गए हैं । पहला दायित्व यह है कि हमें अब बहुत सोच समझ कर विधान पास करने चाहिएं और उनमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए । दूसरे हम ने संविधान में अनेक नए उपबन्ध जोड़े हैं, जिनमें मूल कर्तव्यों तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संबंधी उपबन्ध की शामिल हैं। उन उपबन्धों का उद्देश्य लोक तंत्र की रक्षा करना है । अतः हमारा यह भी दायित्व हो गया कि हम इस प्रकार कार्य करें जिस से लोकतंत्र की रक्षा हो सके और हम समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

भोगेन्द्र झा (जयनगर) : आज संविधान के संशोधनों के इतिहास में विवादास्पद अध्याय समाप्त हो रहा है। यदि हम इसके इतिहास को देखे तो यह विवाद 1969 में आरम्भ हुआ था तथा 1971 में जनता ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। इस सम्बन्ध में काफी विलम्ब किया गया। फिर भी अन्ततः अब हम संविधान में बहुत व्यापक और दूरगामी संशोधन कर रहे हैं। सत्ताधारी दल ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है । स्वर्ण समिति ने इसे स्वीकार कर लिया है । अखिल भारतीय कांग्रेस कमटी ने इसे स्वीकार कर लिया है। मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा इसे गत सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था । इस पर राष्ट्रीय वाद-विवाद हुआ है ।

संसद् में तथा संसद् के बाहर यह बात उठाई गई कि संसद के पास इस विधेयक को पास करने का अधिकार नहीं है । संविधान सभा बुलाने की बातें कही गई । तीन चार राज्यो से विशेष सत्र के अवसर पर स्वयं सत्ताधारी दल की ओर यह यह मांग आई कि संविधान सभा का गठन किया जाये । परन्तु यह अच्छी बात हैं कि संविधान सभा बुलाने तथा विधेयक

को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपने की बातें समाप्त हो गई हैं और इस पर पास करने हेतु विचार किया जा रहा है। संसद् की प्रभुसत्ता को कायम किया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि संसद् को इस विधेयक को पास करने का पूर्ण अधिकार है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। हम अब तक अपनी प्रभुसत्ता और लोकतंत्र को बनाये रख सके हैं। परन्तु यह बात किसी से छिपी हुई नहीं कि हमें साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रहारों से अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी है। हमें समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना है। हम समाजवाद के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवाद हमारी प्रतिज्ञा और घोषणा है। अतः यह भी खुशी की बात है कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि न्यायपालिका को अधिक सम्मानीय स्थान दिया गया है। नरेशों, एकाधिकारियों और निहित स्वार्थों का साथ देकर न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा काफी कम कर ली थी। हम ने इस बात की उचित व्यवस्था कर ली है कि न्यायपालिका संवैधानिक संशोधनों में हस्तक्षेप न कर सके। अब हमारी जनता के जीवन में यह अधिकार महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

परन्तु कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में हम यह महसूस करते हैं कि संशोधन पर्याप्त नहीं है, जैसे सम्पत्ति का असीमित अधिकार। सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में और कड़े संशोधन किये जाने चाहिए थे। इस संबंध में मैं भगवत गीता का उद्धरण देता हूं :—

यावत् भ्रियते जठरं तावत् स्वत्वंहि देहिनां

अधिकं याऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति

इस का अर्थ यह है कि सम्पत्ति केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। यदि वह इससे अधिक एकत्र करता है तो चोर है। मैं आशा करता हूं कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से हम इस रुकावट पर काबू पा लेंगे।

हमें इस बात की खुशी है कि अब संविधान में मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही करने की बात स्पष्ट कर दी गई है।

संविधान में संशोधन द्वारा अब यह सम्भव हो गया है कि यदि देश के एक भाग में आपात स्थिति लागू है तो उसे अन्य भागों में भी लागू किया जा सकता है। यह बहुत अजीब बात है। इसी प्रकार राज्य की सलाह के बिना वहां सशस्त्र सेनायें भेजने की व्यवस्था से भी केन्द्र और राज्यों के संबंध में अनावश्यक तनाव बढ़ेगा।

अल्प संख्यकों की सुरक्षा के बारे में संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। पर कुछ अतिरिक्त संशोधनों की और आवश्यकता है, जो हमारे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के अनुकूल हों।

भाषा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जीवन भर हिन्दी के लिए लड़ता रहा हूं। हिन्दी एक सर्वप्रिय भाषा है और बहुसंख्यकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है परन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि देश हिन्दी से बड़ा है। देश की एकता के लिए हिन्दी के विकास को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाये, पर उसके लिए किसी पर दबाव न डाला

जाये, ताकि देश की समूची संस्कृति और सभी भाषाओं का विकास हो सके।

श्रीमती मारजोरी गाडके (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : संसार के सभी देशो में परिवतन हो रहा है और वे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं महसूस करती हूं कि 44वां संशोधन विधेयक पेश करके हमारे देश में सही दिशा में पग बढ़ाया गया है। मुझे खुशी है कि कल कई संशोधन पेश किए गए तथा पास किए गए। अल्पसंख्यको को दी गई सुरक्षा में मेरी विशेष रूचि है। मैं आशा करती हूं कि इस बारे में जो उपबन्ध किये गये हैं, उन्हें ईमानदारी से क्रियान्वित किया जायेगा।

मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहती हूं। अब चूंकि नागरिको के कर्तव्यो का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इन कर्तव्यो को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जिन बच्चो को बड़े-बड़े कार्य करने हैं, उन्हें इन का ज्ञान हो सके। इससे वे देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। प्रस्ताव में परिवर्तन करके जो नए शब्द रखे गए हैं, उन का स्वागत है। हम सभी भाषाओ, धर्मों और पहरावो का आदर करते हैं। राष्ट्रजीवन की मुख्य धारा में उन का स्थान है। हम सब भारतीय हैं। हमारे पहरावे तथा रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, परन्तु हम सब भारतीय हैं।

हमारी शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा का एक और विषय भी शामिल किया जाना चाहिए इस से छात्र अच्छे नागरिक बन सकेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस विधेयक से संविधान के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। वर्ष 1952 से हम लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिका तथा पंचायतों के चुनाव होते रहे हैं। इन से जनता को ज्ञात हुआ है कि उनके अधिकार क्या हैं तथा उन्हे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती रही है। हम हर वर्ष जनता की महत्वकाक्षाओं की बात करते रहे हैं परन्तु यह विधेयक वस्तुत: विलम्ब से लाया गया है। यह विधेयक 1967—1970 में लाया जाना चाहिए था। परन्तु उस अवधि मे जो कुछ हुआ सब को ज्ञात है। कांग्रेस का बहुमत कम हो गया था। कई जगह मिली जुली सरकारें बनी थी परन्तु उन के कोई विशेष उद्देश्य नहीं थे। वे केवल सत्ता में रहना चाहती थी। हमने बैंकों का राष्ट्रीकरण करना चाहा तो कठिनाइयां पैदा की गई। हमने नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करना चाहा, तो वह विधेयक राज्य सभा में गिर गया। इस पृष्ठ भूमि में हम जनता के पास गये और जनता ने भारी बहुमत से हमारे पक्ष मे निर्णय दिया था। हम जनता की महत्वकांक्षाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

संविधान की प्रास्तवना बिलकुल स्पष्ट है। परन्तु उस में समाजवाद शब्द नहीं था। संविधान की प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द रख कर जनता की भावनाओं को परिलक्षित किया गया है।

कई मामलों में उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों से संसद् की शक्तियों के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया था। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए संसद् को उन का स्पष्टीकरण करना जरूरी था।

सदा के लिये मार्ग की बाधाओं को हटाया जाना चाहिए था। हमें प्रगति पथ का अनुसरण करना है। मैं समझता हूं कि वर्तमान संशोधन से शांति और प्रगति का मार्ग खुल जायेगा। मुझे विश्वास है कि जनता की महत्वकाक्षायें अब पूरी होंगी। इस से करोड़ों पददलित लोगों का जीवन सुधरेगा और निर्धन जनता के लिये नया युग आयेगा।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में जीवन के तरीको तथा रीति रिवाजों और विधियों का तीव्र गति से आधुनिकिकरण हो रहा है। आप को याद होगा कि यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हमारे लिये दुल्हनों का चयन हमारे जनकों द्वारा किया जाता था। मैं समझता हूं कि अब देश में इने गिने ही ऐसे व्यक्ति होंगें जो यह चाहें कि उनके लिए दुल्हनों का चयन उनके मां बाप द्वारा किया जाये। इसी तरह जहां तक संविधान का सम्बन्ध है संविधान मे भी तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि एक 'संविधान संशोधन समिति' का गठन किया जाये, जिसे भविष्य में प्रत्येक संशोधन विधेयक सौंपा जाये, जो उस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। इससे जनता को संसद् की प्रक्रिया में विश्वास पैदा होगा।

सरकार और विधि मंत्री ने कहा है कि समाजवाद को लाने और देश की तीव्र प्रगति के लिये यह विधेयक लाया गया है। अतः इस देश का भविष्य बनाने का एक महान उत्तरदायित्व हम सभी पर आ गया है। हमें देश का भविष्य तीव्र गति से सुधारना है। तभी हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि सविधान में संशोधन ठीक था।

विधि मंत्री ने कहा है कि राज्य सभा की भांति लोक सभा की अवधि भी छः वर्ष होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भ्रांति पूर्ण बात है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जितनी अधिक देर हम जनता से दूर रहेंगे, इस सभा की महत्ता उतनी ही कम हो जायेगी। यदि हम लोक सभा की अवधि इसी प्रकार बढ़ाते रहे तो जनता और सरकार की सेवा करने के लिये हम पूर्णतया राज्य सभा पर निर्भर हो जायेंगे। इसीलिये हमारे पूर्वजों ने लोक सभा की अवधि पांच वर्ष रखी थी। वे इस सभा की प्रतिष्ठा कम नहीं करना चाहते थे। उन की बात पूर्णतया ठीक और उचित थी।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : महोदय, विपक्ष के अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण बाइकाट के बावजूद सभा ने ऐतिहासिक संविधान (संशोधन) विधेयक पास कर दिया। इस से जनता के विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की प्रभुसत्ता सिद्ध हो गई है।

संविधान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे देश की गरीब जनता के भाग्य को बदला जा सके हम यह भी नहीं कह सकते कि गत वर्षों में हमारे प्रगति न करने के कारण हमारा संविधान था।

(श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए।)

(SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair*)

राज्यों मे केन्द्र द्वारा सैनिक भेजने सम्बन्धी खण्ड का हमने बहुत संकोच से समर्थन किया है। केन्द्र को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस से राज्यों की स्वायत्ता पर प्रभाव पड़े। भविष्य में संविधान का संशोधन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। राज्यों में सशस्त्र सेना भेजने की बात

बहुत नाजुक है जिसका देश की एकता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । ऐसी प्रतिगामी कार्यवाही करने से पहले राज्यों की सलाह ले लेनी चाहिये ।

जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है विधि मन्त्री ने अल्प संख्यकों को कुछ आश्वासन दिये हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। कई अल्प संख्यक समुदाय ऐसे हैं जिन की जन संख्या कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। उदाहरण के तौर पर भारत में मुसलमानों की संख्या इंडोनेशियां और बंगला देश से अधिक है । अतः अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति और धर्म तथा वैयक्तिक कानून की सुरक्षा होनी चाहिए। संविधान के अन्तर्गत उन्हें दिये गये अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए ।

सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिए अधिक स्थान सुरक्षित करने के लिए हमने अपने तर्क रखे थे। यदि इन लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकारी सेवाओं में इन समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिये कोई तरीका निकाला जाना चाहिए ।

मैं आशा करता हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाई रखी जायेगी। विधिमंत्री के व्यक्तिगत विचार चाहे जो हो, न्यायापालिका की हैसियत कायम रहनी चाहियें और उसकी गरिमा में कमी नहीं आने देनी चाहिये ।

श्री डी० बसुमतारी (कोकटाझार) : हमारे देश के संविधान के अधिकांश उपबन्ध भारत सरकार अधिनियम, 1935 के आधार पर तैयार किये गये थे । इस अधिनियम को अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर शासन करने उसका शोषण करने और अपने अधीन रखने के लिये बनाया था । अब इसका समाधान यही है कि संविधान सभा गठित करके एक नया संविधान तैयार किया जाये । तभी हम समाजवादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं ताकि अमीर और गरीब की खाई को भरा जा सके।

जिस संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को तैयार किया था उसमे जनता के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। उसमें 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे, और मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा बहुत से निहित स्वार्थों के भी प्रतिनिधि थे। इसके परिणामस्वरुप एक समझौते वाला संविधान तैयार किया गया। अतः उसका संशोधन आवश्यक है। क्या विधि मंत्री वर्तमान सभा को संविधान सभा में परिवर्तित करने की बात पर विचार करेंगे ।

महात्मा गांधी दस वर्ष के भीतर समाज के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। तब उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। लेकिन देखा गया कि 10 वर्षों मे ऐसा करना सम्भव नहीं । अतः इस आरक्षण की अवधि 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। इस संविधान के द्वारा हम महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के समाजवाद को नहीं ला पाये हैं। अतः हम उसे बदल रहे हैं यह बात यहीं समाप्त नहीं होगी, और भी संशोधन करने होंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : मेरा दल अनमने मन से विधेयक का स्वागत कर रहा था हम बड़े प्रसन्न हैं कि सरकार संविधान में समाजवाद को अपना उद्देश्य बना रही है । यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। परन्तु इसके साथ ही यह बताना आवश्यक है कि संविधान में एक स्पष्ट विरोधाभास है ।

समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाने पर मूल अधिकारों के अध्याय मे एक विरोधाभास है। हम अब भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार बना रहे हैं। जब हम संविधान से व्यक्तिगत अधिकार को निकाल दिये जाने की बात कहते हैं तो हमारा यह मतलब नहीं है कि सभी छोटे व्यापारियों या छोटे किसानों को समाप्त कर दिया जाए। मुख्य बात यह है कि उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति के अधिकार में न हो जिससे वह जनता का शोषण कर सके। समाजवाद में बिड़ला और टाटा को कोई स्थान नहीं है। पूजीपतियों का कोई ऐसा गुट नहीं होना चाहिए जो सरकार पर दबाव डाल सके। हम यही चाहते हैं।

फिर संविधान मे शामिल किए गए राष्ट्र विरोधी खण्ड के सम्बन्ध में हमारे मन मे कुछ भय, हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। परन्तु राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का शमन करने के नाम पर इस खण्ड का उपयोग वैद्य कार्मिक संघ गतिविधियों के विरुद्ध किया जा सकता है। यह संशोधन सरकार को आवश्यक विधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है विधि मंत्री का कहना है कि उस समय हम इस बात को ध्यान मे रखेंगे। परन्तु श्री गोखले इसको कार्य नहीं देंगें। इसे तो नौकरशाही लागू करेगी और उनके द्वारा इसका दुरुपयोग न किए जाने की कोई गारन्टी नहीं है।

किसी भाग में अपात स्थिति लागू करते समय उस भाग के लिए कानून बनाए जा सकते हैं और हम समझते हैं कि उसका दुरुपयोग पड़ौसी क्षेत्र में रह रहे लोगो पर भी किया जा सकता हैं। इस बात को भी सरकार ध्यान में रखे।

श्री गोखले ने कहा है कि हमने इस संविधान संशोधन को देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए स्वीकार किया हैं। सरकार पीढ़ी को समाजवाद की शिक्षा देने का उचित प्रबन्ध करे जिससे वे नई समाजवाद को समझ सके तथा यह जान सके कि देश के सामने क्या उद्देश्य हैं। इस दृष्टि से, शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : संविधान के सम्बन्ध में दो तरह के विचार व्यक्त किए गये हैं। कुछ लोगो का कहना है कि यह अब समयातीत हो गया है तथा उसे फिर से बनाया जाए जबकि अन्य लोगो का कहना है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है तथा इसमें परिवर्तन न किया जाए। मैं इन दोनो ही मतो से सहमत नहीं हूं। संविधान इस पूरे समय हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है। इस संविधान के अन्तर्गत हमने अनेको विदेशी आक्रमणो और आर्थिक संकटो का सामना किया है। इसलिए संविधान को समाप्त करने की बात नहीं कहनी चाहिए। निस्संदेह हमें उन उपबन्धो को हटा देना चाहिए जो समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में बाधा डाल रहे हैं।

जो लोग यह कह रहे हैं कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है वे यह चाहते हैं कि यह अपना महत्व खो दे और समाप्त हो जाएं। परन्तु हम चाहते हैं कि संविधानिक प्रणाली की सरकार विद्यमान रहे। संविधान को जीवन्त और जनसाधारण की आकांक्षाओं का प्रतीक बनाने के लिए, हम इसमें आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं।

यह कहना गलत है कि इन परिवर्तनो के द्वारा हमने न्यायपालिका का महत्व घटाने का प्रयत्न किया है। हमने जो संविधान संशोधन पेश किए हैं उनमें न्यायापालिका की स्वतंत्रता और गरिमा में

परिवर्तन करने का हमने कोई प्रयत्न नहीं किया है। ये संशोधन करना आवश्यक हो गया था क्योंकि न्यायालय विधान बनाने में बाधा डालते थे। अत: संसद् को एक बार फिर संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के अपने निर्बाध अधिकार का उपयोग करा पड़ा जिससे संविधान लोगो की आकाक्षांओ और इच्छाओं का प्रतीक बन सके। हमने यही करने का प्रयास किया है।

समाजवाद लाने की बात कोई नई नहीं है। संविधान सभा में उद्देश्य सम्बन्धी संकल्प पेश करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि हम समाजवाद के समर्थक हैं तथा भारत समाजवादी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होगा तथा संसार भर को उस ओर जाना पड़ेगा। अत: इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का कोई आधार नहीं हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार हमारे अन्दाज से अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए उसके साथ चलने के लिए परिवर्तन करने पड़ेगे। जो लोग यथास्थिति चाहते हैं उन्हें इतिहास क्षमा नहीं करेगा।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता—दक्षिण) : संसार के सम्मुख संसदीय लोकतन्त्र तथा देश में विद्यमान संसद् को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए सदन और देश की नेता एक बार फिर बधाई की पात्र हैं। इस विधेयक के द्वारा सविधान में सशोधन करने से सरकार को ही नई शक्ति नहीं मिलेगी वरन् समूचे देश को नई शक्ति मिलेगी जिससे वह समाजवादी आर्थिक परिवर्तन की ओर बढ़ सकेगी।

यह कहा गया है कि संविधान में इतने अधिक संशोधन किए जा रहे हैं कि अब उनसे उकताहट पैदा होने लगी है और इसलिए नई संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधानिक संशोधन जैसे बड़े मामलो के सम्बन्ध में संविधान सभा का विचार जनता की इच्छाओ के विरुद्ध ही नहीं वरन वह संसदीय लोकतंत्र और संसद् की सर्वोच्चता के भी विरुद्ध है। इसलिए संविधान सभा का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह भी कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पं० नेहरू को नरेशो तथा अन्य लोगो से समझौता करना पड़ा था। यह पं० नेहरू की उपलब्धियों के प्रति अपमान प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पं० नेहरू के विचार से भारत किसी एक वर्ग या समाज विशेष का नहीं है। अत: यह समझौता नहीं हैं वरन् एक वास्तविकता है।

जब अंग्रेज भारत से गए थे तो उन्होने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया था। जब नेहरू जी के नेतृत्व मे भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उन्होने एक संविधान सभा बनाई थी।

बिहार आन्दोलन के दौरान जय प्रकाश नारायण ने नए संविधान के निर्माण के लिए एक क्रांति चलाई। किन्तु हमने उसका विरोध किया जब कि आप वर्तमान प्रणाली से सर्वथा भिन्न प्रणाली स्थापित करना चाहे तब भी संविधान सभा बुलने का कोई औचित्य हो सकता है। बंगला देश में मुजीबुर्रहमान ने संसदीय प्रणाली को पसंद नहीं किया वह वहां राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते थे।

इन तीन कारणो से संविधान सभा गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एशियाई देशो को देखिए वहां क्या हुआ। फिलिपाईन थाइलैंड इन्डोनेशिया आदि में क्या हुआ ? इन सब बातो को ध्यान

में रखकर नए संविधान के निर्माण के लिए हमें संविधान सभा बुलाने का विचार ही नहीं करना चाहिए। भविष्य में भावी पीढ़ी जाने क्या करें। किन्तु आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संसद् के माध्यम से जनता की इच्छा सर्वोपरि है। इस विधेयक से हमें एक नई आशा, नया युग तथा नई रोशनी मिलेगी। हमें इसी भावना से काम करना चाहिए।

हमने संविधान में समाजवाद शब्द को रखा है। और इसलिये यह आवश्यक है कि हमारी कार्य पालिका समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करे। यदि हमारी कार्यपालिका ने अपने आपको इस योग्य साबित न किया तो फिर समाजवाद की बात करना ही व्यर्थ है। अतः मेरा विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी तंत्र को मजबूत करें ताकि हम तेजी से समाजवाद के मार्ग पर आगे बढ़ सके। भगवान के लिए हम संविधान सभा बुलाने की बात न करें अपितु यह सोचें कि संसद् ही सर्वोच्च है और उसे यह सब करने का अधिकार हैं। संविधान तथा देश का मुख्य अभिरक्षक संसद् ही हैं।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): The philosophy of our Constitution is to lead the country to progressive ideology and in order to achieve this, Constitution had to be amended several times since independence. It is a matter of great satisfaction that the word "socialist" has now been added in the preamble of the Constitution. The country today needs a different kind of Constitution and there is need to start fresh thinking on the Constitution. Parliament is Supreme to give a new Constitution to the country.

The judiciary put hurdles in our march towards socialism. So the amendment to Article 268 seeks to restrict the jurisdiction of law courts. Government should consider the suggestion made by him that this Constitution Amendment Bill should contain a provision that a committee of 25 members appointed by the Sovereign Parliament should be empowered to review the laws enacted by this Parliament or State Legislatures and to decide whether these laws are constitutionally valid or not. The principle of judicial review is not there in the Constitution of this country. A clarification should be made in regard to it. However I support the amendments made in the constitution.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस बहुविषयक विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें शक्तियों के केन्द्रीयकरण के लिए ऐसे उपबन्ध किए गए हैं जो हमारे जैसे बड़े देश के लिए सर्वथा अव्यवहार्य हैं तथा इस से संविधान के ढांचे में गुनात्मक परिवर्तन भी आता है। दुख तो इस बात का है कि संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक से नागरिकों न्यायालयों, राज्यों राष्ट्रपति और संसद् के महत्व को कम किया गया है तथा केवल केन्द्रीय कार्यपालिका को ही अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे कट्टरता तथा तानाशाही के लिए अनेको द्वार खुल गए हैं। इसी कारण मुझे इस विधेयक के पुरःस्थापित का विरोध करना पड़ा है।

प्रधान मंत्री ने पश्चिम जर्मनी के संविधान के "बुनियादी विधान" का उल्लेख किया है। प्रधान मंत्री ने 'मूल अधिकारो को छीनने सम्बन्धी अनुच्छेद 18 का जिक्र किया परन्तु वह उसके अंतिम वाक्य को छोड़ गईं कि अधिकारो को इस प्रकार छीनने की घोषणा संघीय संविधान न्यायालय करेंगे। मामले अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि किसी भी दशा में मूल अधिकारो को नहीं छुआ जायेगा। यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि मूल अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता उन्हें समाप्त किया जा

सकता है परन्तु इसका निर्णय केवल न्यायालय कर सकती है। आज जो कुछ पारित किया जा रहा है उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसीलिए अधिकतर मनीषियों ने इसका घोर विरोध किया है। विपक्षी दलों ने इस विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही से अपने को अलग रखा है और तब भी सरकार उसे पारित कर रही है। किन्तु एक दिन ऐसा आयेगा जब कि उसे भी अकस्मात समाप्त कर दिया जायेगा।

यह कहना कि संसद सर्वोच्च है, मिथ्या बात है और साथ ही यह विचार खतरनाक भी है। हमारी न्यायपालिका प्रणाली और व्यवहार की दृष्टि से विधि मंत्री का भाषण न्यायालय का अपमान है। मंत्री महोदय न्यायपालिका को धमकी देते हैं और जब वह यह कहते हैं कि "संसद से कोई विरोध न करे" तो यह डराने के अलावा और कुछ नहीं है। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या जनता से इस सम्बन्ध में पूर्णतः तथा पर्याप्त रूप से विचार विमर्श कर लिया गया है।

अनुच्छेद 14 और 19 को केवल घिसी पीटी वस्तु बनाकर रख दिया गया है। किसी नागरिक का विचार अभिव्यक्त करने, सभा आदि करने तथा संस्था आदि बनाने का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा को बड़ी सीमा तक समाप्त कर दिया गया है।

इस विधेयक का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि कार्यपालिका को व्यापक और मनमानी शक्तियां दी जा रही हैं तथा इसमे जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाओं की झलक नहीं दिखाई देती।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur): Government is for the people and therefore it is the first and foremost duty of Govenment to do their best for the welfare and progress of the people. The M.Ps. who are elected by the pople should make necessary amendments in the Constitution for the welfare of people. Our Prime Minister and the Law Minister have taken an appreciable step by bringing forward this Constitution Amendment Bill. Parlament is Supreme to make any change in the Constitution. Parliament has unfettered powers in this regard.

The present judicial structure is a British legacy and it can be replaced by village Panchayats and Zila Parishads. The High Courts and Supreme Court judges are not at all required. We have established these courts and threfore they are under our control. We are not under them.

The Prime Minister deserves tributes for having taken a bold step to lead the country to socialism. The ruling party and the Government have taken right steps in waging a war against Capitalism, therefore, I support this Bill.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : विधेयक में इस तरह की कोई खतरनाक बातें नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों को देखने पर पता चलता है कि हमने केवल भाषण की स्वतंत्रता पर रोक लगाई है। और व्यक्तिगत एकाधिकार के बजाय सरकार के एकाधिकार को प्राथमिकता दी है। अनुच्छेद 31क जमींदारी प्रथा पर आघात करता है। नौवीं अनुसूची में विधानों को रखकर मूल अधिकारों को सवथा

समाप्त किया गया है । हमने अब इसमें 300 विधान रखे हैं तथा यह एक क्रांतिकारी कदम है । लोक सभा के सम्बन्ध में भी हमने कुछ संशोधन रखे हैं । गत 25 वर्षों में संविधान में अनेकों बड़े परिवर्तन किए गए । इसलिए इन संशोधनों से कुछ भी नया नहीं हुआ है ।

इन नए संशोधनों के द्वारा हम कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन कर रहे हैं । सबसे पहले प्रस्तावना के द्वारा ही यह बताया गया है कि अब देश समाजवाद और धर्म निरपेक्ष के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है । दूसरी उल्लेखनीय बात यह है निदेशक सिद्धांतों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा रहा है ।

कानून की एक नई शाखा, प्रशासनिक कानून, देश में विकसित होना शुरू हुआ है । डायसे का यह कथन, कि प्रशासनिक कानून, विधि की सर्वोच्चता को नकारत अब बीती हुई बात मात्र रह गया है । फ्रांसीसी प्रशासनिक कानून ने विश्व को यह दिखा दिया है कि प्रशासनिक कानून को किस प्रकार विकसित करना चाहिए ।

संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी है । न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संशोधन किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । मैं सरकार का आभारी हूं कि उसने इस बात पर गौर किया तथा अनुच्छेद 368 में और संशोधन किया अब संविधान सम्बन्धी संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । हमारा कहना है कि इस संसद की शक्तियां असीमित हैं तथा संसद द्वारा पास किए गए किसी विधान को, जो संविधान में संशोधन करता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । अब यह न्यायालयों पर निर्भर करता है कि वह इसका उल्लेख करती है या नहीं । संसद सविधान को एक नया रूप दे रही है । एक नई शुरूआत की जा रही है और अब हम विश्वासपूर्वक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

लोक सभा का कार्यकाल छः वर्ष कर दिया गया है । इसके बारे में कुछ सदस्यों के अलग अलग विचार हैं । यदि लोक सभा की अवधि बढ़ाना गैर कानूनी नहीं है तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए । इस समय देश क्रांति और परिवर्तन की ओर गुजर रहा है तथा हमने देश को ऐसा संविधान दिया है जो इस उद्देश्य में गति लायेगा । मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह सम र्न करता हूं ।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक को पेश करने के लिये प्रधान मंत्री तथा श्री गोखले को बधाई देता हूं। सभी संवैधानिक संशोधन तीसरे सदन अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा हम पर थोपे गये हैं । केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा जनता की भलाई के लिए कानून बनाये जाते हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय उनके मार्ग में बाधक बनता है । उदाहरणार्थ केरल राज्य ने भमिहीन श्रमिकों को भूमि देने के सम्बन्ध में एक विधेयक बनाया । लेकिन उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दे दी गई । सरकार को इस विधेयक को रक्षा हेतु आगे आना पड़ा और इससे तीन लाख लोगों को काश्तकारी का अधिकार प्राप्त हुआ । वास्तव में गत 30 वर्षों से यह गरीब जनता के शोषण का उपकरण बना हुआ था ।

संविधान का प्रथम संशोधन स बात का द्योतक है कि संविधान राष्ट्र की प्रगति में बाधक है । नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर बिहार सरकार ने यह सोचा कि वह काश्तकारी

अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ विधान बनाएगी । लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि यह संविधान में नियमित मूल अधिकारों के विरुद्ध है । तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु को प्रथम वर्ष के दौरान ही इस विधेयक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा । प्रारम्भ से ही संविधान राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में बाधक बना हुआ है और यह कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बना हुआ है जोकि अपने निहित स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं । अतः देश के सुखद भविष्य के निर्माण हेतु संविधान में संशोधन करना उचित ही है । हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं । संविधान में इस संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों से श्रेष्ठतर बनाया गया है । अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह लोगों को इस संवैधानिक संशोधन के उद्देश्य के बारे में आश्वस्त करें । सरकार को ऐसा करने के लिये समय चाहिये । इसीलिए चुनावों को स्थगित किया गया ।

संसद को जनता से शक्ति प्राप्त होती है । हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम संसद में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः संसद सर्वोच्च है । और उसे संविधान में संशोधन करने और परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य-दक्षिण) : यह संविधान 1952 में बनाया गया यह संविधान अपने आप में पूर्ण नहीं था क्योंकि पहले ही वर्ष उसमें संशोधन किया गया अब तक संविधान में 44 संशोधन हो चुके हैं । यह सभी संशोधन इस बात का प्रतीक हैं कि जरुरत पड़ने पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है । जहां तक सरकारी कार्यवाही तथा इस की सेवाओं का सम्बन्ध हैं, इस बारे में न्यायालयों की शक्तियां कम कर दी गई हैं । किन्तु साथ ही परम आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना पैदा की जाये । सेवा नियमों में, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, सुधार किया जाना चाहिए । अपने भविष्य के संविधान को समुचित रूप देने के लिए हमें वर्तमान संविधान का गत 24 वर्षों के कार्यकरण के अनुभव को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए । नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक पहलुओं की लिखित रूप मे जनता तथा संसद के समक्ष पेश किया जाना चाहिए । यह कार्य राजनीति विज्ञान तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्ष व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए । वर्तमान संविधान के विश्लेषण के बिना हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे । मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं । किन्तु इससे हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और अब भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य होगा । एक समय था कि जब कोई 'समाजवाद' शब्द का नाम भी लेता था तो उसे ब्रिटिश शासक तुरन्त गिरफ्तार कर लेते लेकिन पंडित नेहरु ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि समाजवाद हमारा उद्देश्य है। अब पंडित नेहरु की इच्छाओं को कार्य रूप देते हुए हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं ।

यह संशोधनकारी विधेयक पर्याप्त नहीं है । हमें समूचे संविधान का संशोधन करके उसका प्रारुप फ़िर से तैयार करना चाहिए और इस कार्य के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए ।

समाजवाद' शब्द का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए और समाजवाद की व्याख्या स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए।

नए खण्ड 43 द्वारा केन्द्र सरकार को राज्यों में सशस्त्र सेनायें भेजने का अधिकार दिया गया है। कई बार ऐसा भी मौका आ जाता है जबकि सरकार को जान माल की रक्षा के लिए राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। अत: मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं।

खण्ड 46 के अन्तर्गत हम प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने जा रहे हैं। इन न्यायाधिकरणों को व्यापक अधिकार दिए जा रहे हैं। अत: इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाए। न्यायाधिकरणों को पिछड़े वर्गों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान मे रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): संसद द्वारा 44वें संशोधन विधेयक को पास करने का दिन लोक सभा के इतिहास में सबसे काला दिन माना जाएगा।

इस विधेयक में मौलिक अधिकारों को छीनने तथा इसे नीति निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत रखने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 31(घ) में सरकार विरोधी सभी गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां माना गया है, जिसमें तानाशाही और अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध किया जाने वाला वह अहिंसात्मक सत्याग्रह भी शामिल है जिसे महात्मा गांधी ने पवित्र कर्तव्य का दर्जा दिया था।

इस विधेयक के द्वारा देश के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा चुनाव आयोग के प्रति घोर निराशा तथा आस्था के अभाव का संकेत मिलता है। संविधान सभा ने इन निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती। लेकिन इस संशोधनकारी विधेयक ने उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी और उन्हें मंत्रिमंडल के नेता अर्थात् प्रधान मंत्री के अधीन बना दिया है।

अनुच्छेद 368 में संशोधन करके संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर संसद की सर्वोच्चता को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है।

केशवानंद भारती के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि सरकार संविधान के भाग III में भी संशोधन कर सकती है बशर्ते कि इस संशोधन से संविधान के आधारभूत ढाचे पर कोई प्रभाव न पड़े। सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है कि व संविधान में संशोधन करते हुए सविधान रक्षा भी करे। जनकल्याण के उद्देश्य के लिए संविधान में सशोधन किए जा सकते है। हमारी संविधान सभा में उच्चतम न्यायालय को संशोधनों की जांच करने तथा उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार दिया ताकि संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशक्त रूप से कार्य किया जा सके। संसद तथा कार्यपालिका के अनुरूप ही न्यायालयों को भी राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने के सक्षमय बनाया गया। सभा ने सत्ता के तीनों

अंगों नथा संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को, अपना स्वतन्त्र अधिपत्य बनाये रखने की व्यवस्था की। परन्तु प्रस्तुत संशोधन के माध्यम से अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर उसे पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री के अधीन किया जा रहा है।

मैं सरकार को इस बात पर चुनौती देता हूं कि वह किसी भी ऐसे सामाजिक, आर्थिक क्रांतिकारी विधेयक का उद्धरण प्रस्तुत करे जिसे कि 1971 के बाद न्यायपालिका में रद्द किया हो। 1971 के बाद हुए किसी भी संवैधानिक संशोधन को रद्द नहीं किया गया। 1971 में न्यायपालिका ने 39वें संशोधन को रद्द किया था तथा उसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन का नहीं था। यह तथ्य है कि संसद के दोनों सदनों यथा राज्यसभा और लोक सभा द्वारा 1975 में संविधान का 39वां तथा 41वां सशोधन पास कर दिय गया। परन्तु ऐसा करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि संसद की सत्ता सर्वोपरि है तथा से सविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार है।

न्यायाधीश जगमोहन सिंहा ने प्रधान मंत्री के चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने सम्बन्धी जो निर्णय दिया, उसी के परिणामस्वरूप 39वां संशोधन प्रस्तुत कर, प्रधान मंत्री के चुनाव को न्यायालय की सीमा से बाहर करने का प्रयत्न किया गया। मैं इस संदर्भ में यह स्पष्ट कर दूं कि उच्चतम न्यायालय का यह विनिर्णय अभी भी विद्यमान है कि संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवतन नहीं किया जा सकता। इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस सभा को संविधान के 44वें संशोधन के बारे में चर्चा करन का अधिकार नहीं है।

मैं सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस विधेयक को पारित करवाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वह बेकार जायेंगे। मैं समझता हूं कि विधेयक को जब कानून का रूप दे दिया जायेगा तो उसके बाद उच्च न्यायालय उसे रद्द कर देगा।

एक अन्य बात जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि विधेयक के खण्ड 13 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्ल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वस्तुतः यह तो एक रूढ़ि के रूप में प्रचलित है। तथा किसी भी देश के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। हमारे संविधान में के निर्माता तथा हमारे देश के अनेक महान नेता यथा पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और महान न्यायविद जैसे कृष्णास्वामी आयर, डा० बी० आर० अम्बेदकर भी हमारे संविधान में इस प्रकार का उपबन्ध रखने के पक्ष में नहीं थे ? मैं समझता हूं कि हमने अब अपने संविधान में इस उपबन्ध की व्यवस्था अपने महान् नेताओं की भावनाओं का निरादर किया है मैं इस विधेयक का भरसक विरोध करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): An apprehension has been expressed by several Members that this amending Bill will curtail the power of Judiciary. But it is not so. Now the courts will not stay in the way of social and progressive legislations passed by Parliament. The persons with vested interests will not be able to block the way for social reforms by resorting to courts. The courts will be quite independent in their own fields.

It will not be out of place for me to mention here that we should not expect miracles from this Constitutional Amendment. Our Constitutions is there only

for giving us directions. It still remains to be our primary duty to meet the need and requirement of the weaker sections of the society. If we sincerely and honestly work for the uplift of downtrodden people, we will be fulfilling the dreams of Gandhiji, the father of the nation. I am also of the view that there should be decentralisation of powers and we should give more powers to our Panchayats.

Shri R. R. Sharma (Banda): The Constitution is a living document and with the advancement of culture and civilization, amendments become necessary. While speaking on this amendment some of my friends have expressed the fear of a confrontation between the Parliament and the judiciary. I may make it clear that there is no room for any such confrontation. It was the Constitution which gave the Supreme Court and High Courts the powers to interpret the Constitution. As an exercise of these powers, these courts have interpreted the Constitution. Now this power which was conferred upon the courts is being withdrawn constitutionally. This is being done for the reason that we want speedy implementation of our social economic programme. But at the same time I may warn the Government that simply by the amendments and chalking out 20 point programme, we cannot achieve the desired object. For that purpose, we will have to impress upon our bureaucracy to be more reasonable and considerate towards the needs of downtroddens. Our objects are quite appreciable but sincere attempts should be made to implement them.

With these words, I whole-heartedly support the Bill.

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]

Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair

Shri B. V. Naik (Kanara): While supporting the Bill I want to ask the hon. Minister that it is not a fact that Hindi is our National language. Because the Minister referred to Hindi as National language while replying to the debate. So I want to ask this question. Moreover on article 343, it has been mentioned that the official language of the Union shall be Hindi in Devnagri script. So I want the Minister to clarify the position.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): First of all I want to request the Minister that a copy of the Constitution in Hindi should be made available to every Member. Secondly I may submit that the Constitution should be translated into all the languages listed in the 8th Schedule of the Constitution. It will enable the common man to understand and appreciate the amendments now being made in the Constitution.

The other point which I may like to mention in this regard is that due publicity should be given to the chapter of duties which is now being incorporated in Constitution so that people can understand the same. My other submission is that in the Preamble of our Constitution word 'progressive' should be added before word 'socialist.' Socialism will only have its due meaning if it is put in the context of 'progressive'.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I opposed the clause which is being added to the Constitution with regard to anti-national activities. Now in the name of anti-national activities now our Government is putting those people behind the bans who were custodians of democracy and socialism. Gross misuse is being made by the Government of MISA and D.I.R. In Bihar action has been taken

[Shri Ramavatar Shastri]

against Members of Communist Party who took part in District Council Meeting held in Sitamarhi Action has also been taken against the workers who fought for their rights.

Now another thing has come up. The Government officials are taking action against the people who are not coming forward for family planning. A person was killed in firing in Patna on 13th September, 1976. Firing was also made in Muzaffarnagar, and in many other parts of U.P. despite repealed assurances of Prime Minister and Health Minister not to use coevercive measures.

Lastly I may mention that there are a good number of Government officials who are anti-national. It is strange that Government took acion against the people who were patriotic and allowed the antinational people to let off. It should be looked into. The Government should not supress the movements which are being launched by the works for houses and against high prices.

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : मैं इस संशोधन विधयक का भरपूर समर्थन करता हूं अब तक हमारे देश में इस संशोधन विधेयक के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही देश में न्यायपालिका की भी काफी आलोचना हुई है तथा इसके लिए स्वयं न्यायपालिका ही जिम्मेदार है क्यों कि कुछ मामलों में उसने गैर-जिम्मेदाराना निर्णय दिये तथा बैंक राष्ट्रीयकरण तथा राजाओ महाराजाओ की निजी थैलियां समाप्त करने सम्बन्धी कानून रद्द कर दिये । अब संविधान में उपयुक्त संशोधन कर उसे जनता की इच्छाओं को फलीभूत करने वाला बनाया जा रहा है ।

विधि मंत्री ने खण्ड 55 का जो संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; उसके लिए यह निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब प्रस्तुत संशोधन के मामध्यम से संसद की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा रहा है । अब संविधान में मूलभूत कर्त्तव्यों का उल्लेख भी किया जा रहा है । यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि भौतिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धांत मूलभूत कर्त्तव्यों के अधीन ही आते हैं ।

Dr. Kailash (Bombay South): I want to congratulate the Prime Minister under whose leadership this historical amendment is being brought forward. It is really a matter of gratification that this amending Bill is being passed by us. We are making these amendments in the Constitution because we want to fulfil the aspirations of the people.

With regard to clause 14(a) I may mention that tribunals should be established at the earliest. All decisions which relate to this amending Bill should be implemented quickly. we have brought this Amendment Bill to fulfil the aspirations of the people.

श्री रण बहादुर सिंह (सिंघी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । आजकल जिस प्रकार लोकतंत्र को जाना जाता है अर्थात् रोक लगाना और सन्तुलन करना। पर इस विधेयक द्वारा असंख्य निर्धन लोगों की अन्तर्निहित भावनाओ को जर्जरित तंत्र की अपेक्षा प्राथमिकता मिली है । मेरा विचार है कि इस संशोधन को पास करके हम एक ऐसा मेहराब बनायेंगे जो पारथनन अथवा स्टेचू आफ लिबर्टी अथवा टावर ऑफ वेस्टमिनिस्टर से भी ऊंचा होगा । आइये हम इस मेहराब का शिलान्यास पंचायत राज्य की समवर्ती सूची में शामिल करके

करें ताकि हम सत्ता को उन लोगों के हाथ में सौंप सकें जिनके लिए हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं।

Shri Ishaque Sambhli (Amroha): While passing this Amendment Bill you should take special care of minorities particularly Muslim minorities. Their quota of seats should be fixed in all the branches of education.

Similarly Urdu has not got its due place almost in all the states. Some laws should take special care of minorities particularly Muslim minorities. Their responsible for riots should be held under MISA.

The rise in prices should be checked and The Government should take strong steps to implement the Directive Principles. Nothing, not even the Supreme Court should be allowed to stand in way of their implementation.

Shri S. A. Shamim (Srinagar): Sir for the past 15 months you have been telling us about the gains of emergency. But now suddenly it is being said that the situation has not improved and there is no need for elections. You have accepted in principle that Parliament is Supreme but at the same time you are not holding elections. This is totally unfair.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): This Bill is a big leap forward in the direction of socialism. The credit for this goes to our Prime Minister. Sir, Seven Members of this House had submitted a memorandum asking for constitutional protection to Kashmir, Himachal Pradesh, hilly areas of U.P., Nagaland, Arunachal Pradesh etc. These are back ward areas and you should give protection to these areas if you want to fill up the gap btween the rich and the poor.

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : महोदय, पिछले सात दिन से इस विधेयक पर बहुत लाभदायक चर्चा हो रही है। यह समय चिड़चिड़ाहट का नहीं है। राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में हम बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। इस संविधान संशोधन विधेयक में हमने ऐसे कदम उठाये हैं। इतिहास बतायेगा कि देश की प्रगति और हमारी जनता की समृद्धि के लिए ये कदम कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक थे।

संसद् सर्वोच्च है। यह बात सिद्ध हो गई है। मैं यह बिलकुल नहीं कहता कि हमारे न्यायाधीश विद्वान नहीं हैं या हमारी न्यायपालिका में उच्चस्तर के न्यायाधीश नहीं हैं उनमें देश भक्ति की भी कमी नहीं है। मेरा कहना तो केवल यह है कि न्यायाधीशों को समय की गति के अनुसार चलना होगा। वर्तमान आवश्यकताओं को समझना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग चुप नहीं बैठ सकते। न्यायाधीश संविधान की व्याख्या के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन ऐसा करते समय वे अपने राजनीतिक विचारों को नहीं थोप सकते।

हम सदा अच्छे कानून बनाने का प्रयत्न करते हैं। पर फिर भी कुछ लोग इन्हें अनुपयोगी ही बताते हैं। उनका कहना है कि अच्छे आदमियों के लिए उन कानूनों की जरूरत नहीं और बुरे आदमी उन से सुधर नहीं सकते। लेकिन यह तब की बात है जब कानून केवल अपराधियों या निजी व्यक्तियों के अधिकारों के लिए ही बनते थे। समाज के प्रति विधान के उद्देश्य और कृत्यों की ओर कोई ध्यान न दिया जाता था।

हम इस बात को जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हम सम्पत्ति अधिकार संशोधन तथा 25वां संशोधन लाये । हमें फिर से मुआवजे सम्बन्धी प्रश्न से निबटना था । मुआवजे का प्रश्न बड़ा विकट रूप ले चुका था । हम समाज की मांग के अनुसार कानून में परिवर्तन कर रहे हैं । अधिकांश जनता की इच्छा भी यही है ।

हममें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं है जो यह समझे कि संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द रखने से समाजवाद आ जायेगा पर इससे एक उच्च आदर्श हमारे सामने रहेगा । हमने अपने देश की स्थिति में परिवर्तन करने और जनता को समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा की है ।

पहली बार हमने निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी है । पहली बार नागरिकों के लिए 10 कर्त्तव्य नियत किये हैं। न्यायपालिका के लिए एक सीमा निर्धारित की है जिसके भीतर रहते हुए उसे कार्य करना है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अधिकार और कृत्यों के बारे में परिवर्तन किये गये हैं । कुछ अन्य संशोधन भी किये गये हैं लेकिन बड़े संशोधन इस प्रकार किये गये हैं जिससे भविष्य में संसद्, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी सीमाओं के अन्दर काम कर सकें ।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान बदलने के ऐतिहासिक कार्य में भी विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ा है । विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने भाग भी लिया है लेकिन उनमें से भी अधिकांश ने तथ्य की अवहेलना की है। सच्चाई को अनदेखा किया है । जिन लोगों के बीच हर जगह मतभेद है, वे लोग भी संविधान में परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक हो गए हैं ।

कुछ अन्य विपक्षी दल भी हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है । उन्होंने अधिकांश संशोधनों का समर्थन किया है, कुछ से मतभेद भी व्यक्त किया है । यह बात तो समझ में आती है क्योंकि चर्चा के समय हम हर बात पर सहमत नहीं भी हो सकते । कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव पर हमने कहीं कहीं परिवर्तन भी किये हैं। सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव पेश किये गये, हमने उन पर पूरी तरह विचार कर के जिन्हें आवश्यक समझा है, उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

वास्तव में यह संशोधन कर के हमने संविधान में गुणात्मक परिवर्तन किया हैं । यह देश के लिए अच्छा ही है ।

मैं उन सदस्यों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रीय विवाद है । वास्तव में ऐसा विवाद कोई नहीं है । कहीं पर कुछ विवाद हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

यह हर्ष का विषय है कि प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लिये गये हैं और सभा में आम तौर पर उन पर सहमति पायी गई है । बल्कि अधिकांश सदस्यों ने तो यह आलोचना की है कि ये संशोधन काफी पहले लाये जाने चाहिये थे ।

महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूं कि विधेयक सभा द्वारा पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संशोधित रूप में, विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	366
Ayes . . .	**366**
विपक्ष में	4
Noes . . .	**4**

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया। विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुरूप अपेक्षित बहुमत से पास किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 3 नवम्बर, 1976/12 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the November 3, 1976/Kartika 12, 1898 (Saka)